ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
UGC APPROVAL NO. - 42652
CHETANA

Receivedon 29th Nov 2017, **Revised** on 07th Dec 2017; **Accepted** 00th Dec 2017

आलेख

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

* **मंजू चौधरी**, शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग
श्री जेजेटी विश्वविद्यालय झुंझुनु, राजस्थान
डॉ.सपना गहलोत, निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
Email -manjusoumya7@gmail.com , Mobile-9462652333

मुख्य शब्द *– महिला सशक्तीकरण, जागरूकता, दुर्बलता, राजनीतिक अवधारणा आदि।*

सारांश

सरकारी एवं गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ दशकों के प्रयासों से पुरूशों के नजरिये में परिवर्तन लाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। शायद ही आज कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर महिलाएं अपनी उपस्थिति का आभास न करा सकी हो। समाज मे महिला सशक्तीकरण के प्रयासों से बदलाव आया है फिर चाहे वह बाध्यकारी नीतियों से हो या जागरूकता से आया हो। अपने अधिकारों एवं परिवार से सम्बंधित कार्यो में वे स्वयं निर्णय लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और अपने सतत विकास को प्राप्त कर रही है। स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान में लगभग 28.18 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियो में 36.87 प्रतिशत महिलाएं है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

सशक्तिकरण में व्यक्ति अपने लिए कार्य करने का सर्वश्रेश्ठ तरीका ढूंढता है वह स्वयं अपने द्वारा बनाये गये रास्ते पर चलता है। अतः कह सकते है कि व्यक्ति के द्वारा किये गये स्वयं के लिए कार्य ही सशक्तिकरण होता है अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करे तो महिलाओं में ज्ञानार्जन, नियन्त्रण, कार्य करने की क्षमता का विकास, परिवर्तन लाने की क्षमता का विकास, विकल्प चयन क्षमता, स्वाभिमान का विकास आदि। महिलाओं का सशक्तिकरण सर्वागीण एवं बहुआयामी दृश्टिकोण है।

इक्कीसवीं शताब्दी से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल शुरू हो गई इस लिए इस शताब्दी को महिला शताब्दी के नाम से भी जाना जाता है। यह कह सकते है कि समाज रूपी रथ के दो पहियों में एक पहिया पुरूष है तो दूसरा महिला है तो महिलाओं को भी उतना ही सबल एवं सुयोग्य होना है जितने कि पुरूष है। और महिलाओं की यही दुर्बलता और सुयोग्यता इनके असली सशक्तिकरण की पहचान है।

सशक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा

महिला सशक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा पाउलो फेयरी ने दी है उन्होने बताया है कि सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्बलो को शक्तिशाली बनने की हिम्मत मिलती है। सशक्तिकरण के द्वारा ही समाज के शक्ति के नियन्त्रण में बदलाव लाया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा का भारत में विकास संविधान निर्माण के साथ ही शुरू हो गया जिस के अन्तर्गत प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाये गये उनमें से ही 73 वाँ संविधान संशोधन एक है जिसके द्वारा स्थानीय संस्थाओं या निकायों में लाखों महिलाओं की प्रविष्टि पाई गई गुर्न्नार मिर्डल का मानना है कि देश में सता पितृसतात्मक और रूढिवादी होने के कारण महिलाओं के साथ पुरूष के समान व्यवहार नही किया जाता महिलाओं के साथ असमानतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। उन्हें सभी क्षेत्रों, कार्यस्थलों पर निम्न स्थिति प्राप्त है। भारतीय समाज लैंगिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित राजनीतिक अवधारणा महिलाओं के अधिकारों और उनकी समाज में छवि के रूप में होती है।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को समानता का दर्जा नही मिला पुरूष का हमेशा ही उन पर नियन्त्रण रहा है। पिता का पुत्री पर, पति का पत्नि, भाई का बहन पर नियन्त्रण रहा है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए महिलाओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण और विचार है इस पर निर्भर करता है। इसलिए महिलाओं से सम्बन्धित कानून बनाने से स ाक्त नही होगी इनके प्रति सोच भी बदलनी होगी। मानव समाज में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की क्रियाशीलता, सृजनात्मकता और उर्जा पर आधारित कार्य होते है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है राजनीति में रूचि रखने वाली महिलाओं के सामने ऐसी कई समस्याएं होती है जिनका सामना उन्हें महिला होने के कारण करना पडता है। भारत में महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए कभी भी पुरूशों का विरोध नही किया। वे स्वतन्त्रता के समय भी पुरूषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खडी रही और स्वतन्त्रता संग्राम में पुरूषों के समान लडी।

उदाहरणार्थ – 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में भी भारतीय महिलाओं ने अपना योगदान दिया इनमें मुख्यतः रानी लक्ष्मीबाई, देवा चौधरानी, पंजाब से रानी साहब आदि। 1857 के संग्रम के पश्चात अंग्रेजों के विरूद्ध स्वतन्त्रता आंदोलन में भी अनेक भारतीय महिलाओ ने अपना योगदान दिया इनमें से प्रमुख कमला नेहरू, कस्तुरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू आदि इनकी महत्वपुर्ण भूमिका रही। इस प्रकार विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी से राजनैतिक में उनकी रूचि को दर्शाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वर्शो से महिलाओं को राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए जद्दोजहद से गूजरना पडता है । कई समस्याऐं है जो महिलाओं की प्रगति में बाधाएं उत्पन्न करती है उनमें मुख्यतः लैंगिक असमानता उसमें लिंग सम्बंधी भेदभाव किया जाता है विश्व में आधी आबादी महिलाओं की है किन्तु पुरूषों के समान उन्हें दर्जा नही दिया गया है। जबकि महिलाएं पुरूषों से अधिक कार्य करती है लेकिन उनके कार्यो को आंका नही जाता।

कानुनी भेदभाव

अधिकांश कानून महिलाओं पर प्रभाव नही डालते है और अनेक कानूनों की नजर में महिलाएं दोयम दर्जे की है।

डेविस राइस मैन ने महिलाओं के सम्बंध में लिखा है कि हमारे कार्य की व्यवस्था ऐसी है कि महिलाएं जों सभी सामाजिक कार्य करती है। उनके समय की आर्थिक दृष्टि से कोई स्पष्ट व्याख्या नही की गई और ना ही उनके काम की समय सीमा भी निर्धारित नही की गई है। महिलाओं के द्वारा किये गये घरेलू कार्यो को श्रम में नही माना जाता है। दिन–भर घर का कार्य करके थक जाये किन्तु उन्हें थकावट प्रकट करने का अधिकार नही है निर्णय लेने के अभाव में कारण भी महिलाओं को कोई महत्व नही दिया जाता उनके निर्णय को कोई महत्व नही देते। अशिक्षा व जागरूकता के अभाव के कारण भी वे अपने अधिकारों से वंचित रहती है। महिलाओं में राजनीतिक ज्ञान का भी अभाव होता है। धन के अभाव के कारण भी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती और वे चुनावी दौड में पीछे छूट जाती है।

महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

विश्व के किसी भी देश में महिलाओं को पुरूषों के बराबर का दर्जा नही मिला हुआ इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह भेदभाव मानवीय गरिमा के खिलाफ है जिससे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं की पुरूषों के बराबर समानता में बाधा आती है और देश के विकास में बाधा होती है। हांलाकि सभी देशों की सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अनेक प्रकार के कानून बनायें है। और महिलाओं को कुछ विशेष अधिकारों से अवगत भी करवा रही है। लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी जगह समान प्रतिनिधित्व नही है कही अधिक है तो कही कम है मुस्लिम देशो में देखो तो वहां राजनीति में महिलाएं सर्वोच्च स्तर पर है। इन मुस्लिम देशो में महिलाएं सक्रिय रूप से राजनीति में योगदान दे रही है। जैसे इंडोनेशिया की राष्ट्रपति भी एक महिला है। पाकिस्तान में भी बेनजीर भूट्टों दो बार प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनाया गया । महिलाएं संसदीय चुनावों को लेकर उत्साहित भी रही। इस प्रकार सभी स्थानों पर महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है।

महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा चलाये गये विशेष कार्यक्रम

सरकार द्वारा चलाई गई महिला सशक्तीकरण योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि पिछडी व दबी महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

- **स्वावलंबन**

इस योजना में सरकार के द्वारा पंचायती स्वैच्छिक संस्थाओं, विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों आदि को वितीय सहायता दी जाती है ताकि समाज में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं, अनूसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गो की स्थिति में सुधार किया जा सके। इस योजना का शुभारम्भ 1982–83 में किया गया।

- **महिला समाख्या योजना**

  इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए जागरूक करना विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना है। इनके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित किया जाता है ताकि रूढिवादी एवं परम्परागत विचारों से उपर उठकर समर्थ और स्वतन्त्र निर्णय लेने में समर्थ हो सके।

- **स्वधारा**

  यह योजना विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस योजना में विकलांग, विधवाश्रमों में रह रही महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से जुझी हुई महिलाओं आदि को भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सम्बंधी देखभाल आदि व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है।

- **रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम**

  इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार और परियोजना के आधार पर रोजगार दिलाकर इनकी स्थिति में सुधार लाना है।

- **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल**

  कामकाजी महिलाओं के लिए रहने के लिए ये योजना चलाई गई। इस योजना के द्वारा वे महिलाएं जो अकेली रहती है या जिनके पति बाहर काम करते है और विधवा, तलाकशुदा आदि महिलाओं को लाभ मिले। इस कार्यक्रम में व्यवसायिक पाठ्यक्रम पुरा कर रही महिलाओं के लिए किफायती और सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 67284 कामकाजी महिलाओं को लाभ प्रदान करते हुए 902 होस्टलों को स्वीकृती दी गई है।

- **उज्जवल योजना**

  इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं की खरीद, फरोक्त पर रोक लगाने और व्यवसायिक यौन–शोषण की शिकार महिलाओं के लिए पुनर्वास और दुबारा से समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए यह योजना चलाई गई इससे इन महिलाओं को समाज में सशक्त बनाया जा सके और इनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

- **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना**

  भारत सरकार ने 11–18 वर्ष की स्कुली लडकियों को पोषक आहार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा लडकियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार, कल्याण, स्वास्थ्य बच्चों की देखरेख एवं जीवन कौशल के बारे में भी शिक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

- **महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन**

  महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए भारत एवं राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि महिलाओं का समग्र विकास हो सके।

- **महिला किसान सशक्तिकरण योजना**

  यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा शूरू की गई इसके अन्तर्गत कृषक महिलाओं एवं कृषि मजदुरी करने वाली महिलाओं को कृशि करने के ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही प्रियदर्शिनी कार्यक्रम में महिलाओं और कमजोर समूहों के समग्र विकास व

सशक्तिकरण आजीविका के अवसरों को बढावा दिया गया है। महिलाओं को आगे लाने के लिए स्त्री भाक्ति पुरस्कार भी शुरू किया गया। महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में उत्कृश्टता हासिल की है। इस तरह महिलाएं पुरूशों से अलग अपनी पहचान बनाने ताकि अपने वाली पीढियों के लिए वे मॉडल रूप बन सके। महिलाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते है। केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों ने भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाओं की शुरूआत की है।

विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परिवेश निर्माण के लिए सरकार के द्वारा 1985 ई. में महिला एवं बाल–विकास विभाग की स्थापना की गई। सन् 2006 में महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय का भी गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विकास को वांछित गति प्रदान करना है। महिलाओं के अधिकारों एवं उनकी आवाज को राष्ट्र स्तर पर भी महत्व दिया जाए इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। पैसे के अभाव में महिला विकास न रूके इसके लिए 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों और उनके गरिमामयी उत्थान के लिए 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया।

संदर्भ ग्रन्थ

1. सिंह, सीमा, ''पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण'' विद्या विहार, नई दिल्ली
2. शर्मा, कृष्ण दत एवं श्रीमती दाधीच, सुनिता (1997) ''राजस्थान पंचायती कानून'' पंचायती राज जन चेतना संस्थान, जयपुर
3. सिंह, करण बहादुर, (2006) ''महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मार्च
4. गुप्ता, कुमार कमलेश ''महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर
5. नागेन्द्र, शैलजा (2006) ''वोमेन्स राइट्स ए डी वी पब्लिशर्स, जयपुर
6. गौतम, हरेन्द्र राज (2006) ''महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र, मार्च

**** Corresponding Author:***

मंजू चौधरी, शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग,
श्री जेजेटी विश्वविद्यालय झुंझुनु, राजस्थान
डॉ.सपना गहलोत, निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
Email -manjusoumya7@gmail.com , Mobile-9462652333